संख्या–1934 / XVIII(II) / 2010–3(75) / 2010

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 अक्टूबर,2010

विषयः–ग्राम सुद्धोवाला एवं ईस्ट होप टाऊन, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में, क्रमशः 1.071 एवं 2.455 है0 भूमि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की डिस्पेन्सरी एवं स्थायी कार्यालय हेतु, श्रम विभाग उत्तराखण्ड को, निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1434 / डी0एल0आर0सी0–2010–12–ए0–130, दिनांक–11.8.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम सुद्धोवाला एवं ईस्ट होप टाऊन, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में, क्रमशः 1.071 एवं 2.455 है0 भूमि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की डिस्पेन्सरी एवं स्थायी कार्यालय हेतु, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति / अनापत्ति एवं वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15–02–02 के दृष्टिगत, जिलाधिकारी देहरादून द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं के अन्तर्गत, श्रम विभाग उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

..............................2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– ग्राम सुद्धोवाला में प्रस्तावित, 1.071 है0 भूमि का वाद, मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रश्नगत वाद में मा0 न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, वह सम्बन्धित विभाग को मान्य होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृ0प0संख्या–1934 /समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
4– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।